राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1627/2021

सुभाष चन्द्र **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भरतपुर।
6. श्रीमती नीलम चतुर्वेदी, केयर/ऑफ जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.03.2021

आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चन्द गुप्ता, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, ओआईसी

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी विज्ञान के पद पर वर्ष 2011–12 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी की जाकर उसे वर्ष 2011–12 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी किये जाने के आदेश फरमाये जावे और

अपीलार्थी को पदोन्नति के संबंध में समस्त लाभ मय शेष राशि सहित भुगतान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 23.03.2005 के द्वारा हुई थी और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिनउवा रूपवास, जिला भरतपुर किया गया है। आदेश दिनांक 14.01.2013 के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक की विस्तृत स्थायी मंडल वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें मंडल क्रमांक 701(1) जिला क्रमांक 262(1) वर्ष 2004–07 की जारी की गई और अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर आदेश दिनांक 21.04.2016 के द्वारा पदोन्नति दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 17 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को जिनकी मंडल वरिष्ठता क्रमांक 717 है, को वर्ष 2011–12 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 18.05.2016 के द्वारा दी गई। उनका कथन है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 अपीलार्थी से कनिष्ठ है और उसे वर्ष 2011–12 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में पदोन्नत किया गया है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 25.02.2021 प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी विज्ञान के पद पर वर्ष 2011–12 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी की जाकर उसे वर्ष 2011–12 के विरूद्ध रिव्यू डीपीसी किये जाने के आदेश फरमाये जावे और अपीलार्थी को पदोन्नति के संबंध में समस्त लाभ मय शेष राशि सहित भुगतान किये जाने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी ने अपना वरिष्ठता सूची में नामांकन वर्ष 2013 में करवाया था। विभाग द्वारा वर्ष 2004–07 तक अस्थायी वरिष्ठता सूची प्रकाशित किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गईं थी। तदुपरांत स्थायी वरिष्ठता सूची जारी

की गई। उस समय अपीलार्थी द्वारा किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी अपने कृत्य के प्रभाव से विज्ञय था तथा स्थिति अपने अनुकूल होने पर अपीलार्थी ने वर्ष 2013 में वरिष्ठता सूची में अपना नामांकन कराया, जिसके आधार पर उसको वर्ष 2014–15 में पदोन्नति लाभ नियमानुसार दिया गया। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 23.03.2005 के द्वारा हुई थी और उसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बिनउवा रूपवास, जिला भरतपुर किया गया है। आदेश दिनांक 14.01.2013 के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक की विस्तृत स्थायी मंडल वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें मंडल क्रमांक 701(1) जिला क्रमांक 262(1) वर्ष 2004–07 की जारी की गई और अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर आदेश दिनांक 21.04.2016 के द्वारा पदोन्नति दी गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 17 पर अंकित किया गया और निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को जिनकी मंडल वरिष्ठता क्रमांक 717 है, को वर्ष 2011–12 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 18.05.2016 के द्वारा दी गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 अपीलार्थी से कनिष्ठ है और उसे वर्ष 2011–12 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जबकि अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में पदोन्नत किया गया है, जहां तक अपीलार्थी को उससे कनिष्ठ निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को जिस वर्ष में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति दी गई है, उस वर्ष में अपीलार्थी को पदोन्नत नहीं किये जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 14.01.2013 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की मंडल वरिष्ठता क्रमांक 701(1) एवं जिला वरिष्ठता क्रमांक 262(1) है, जो वरिष्ठता वर्ष 2004–07 की है और आदेश दिनांक 18.05.2016, जिसके द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जिसमें निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 की मंडल वरिष्ठता क्रमांक 717 अंकित की गई है। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 अपीलार्थी से

वरिष्ठता में पीछे है और नियमानुसार अपीलार्थी की पदोन्नति भी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर वर्ष 2011–12 में होनी चाहिये। परंतु अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है, जो नियमानुसार उचित प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुये यदि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 से वरिष्ठता में ऊपर है और पदोन्नति हेतु योग्य पाया जाता है तो नियमानुसार रिव्यू डीपीसी आयोजित कर जिस तिथी से निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर पदोन्नत किया गया है, उसी तिथी से अपीलार्थी को भी नियमानुसार वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर उसी वर्ष के विरूद्ध पदोन्नत किया जावे एवं समस्त पारिणामिक लाभ आदि भी प्रदान किये जावें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)